


धौलपुर (राज०)

27.5.24

पत्रावली पूल वाद के जाल वेर हुई। वही  
साफल ने शर्मा पर-212 नोट प्रेर कर  
खारिज कर्ज का निर्वात किया। अहा शर्मा  
पर-212 नोट प्रेर के आधार पर खारिज  
किया जाता है। प्रकरण केवल सुपार होकर  
सिमात पूल वाद रहे।

  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज०)

मोठे  
राम  
जा.  
C.S. 25/1/24